न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी 1265-PBR-15

प्रकरण क्रमांक /2015 (निगरानी)

श्री पी.के.तिवारी
द्वारा आज दि. 1-6-2015 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-6-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रेमाबाई पत्नि श्री जगदीश जाट मुख्तयार आम हिरओम आत्मज श्री जगदीश प्रसाद निवासी– ग्राम नयापुरा तह. हंडिया, जिला हरदा (म.प्र.)

.................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. हीराबाई उर्फ हीरामणी राय पत्नि जय नारायण राय निवासी– ग्राम नयापुरा तह. हंडिया, जिला हरदा (म.प्र.)

......................अनावेदिका

2. म.प्र. शासन

निगरानी आवेदन पत्र– अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 15.05.2015 द्वारा पारित तहसीलदार हंडिया जिला हरदार रा. प्र. क्रं. 2/-11-12. अ.-70

महोदय,

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक आर 1265–पीबीआर/2015 **जिला–हरदा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–06–15	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा तहसीलदार, हंडिया जिला हरदा के प्रकरण क्रमांक 2/2011–12/अ–70 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15–5–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– तहसीलदार द्वारा आवेदिका की ओर से म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को इस आशय का निष्कर्ष निकालते हुये निरस्त किया गया है कि आवेदिका द्वारा वरिष्ठ न्यायालय से किसी प्रकार का कोई स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता व अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	Noted 4-8-15